

VETAN DEYAK PRAPTRA  
VITTIYA NIYAM SANGRAH, KHAND-5, BHAG-1

2/10/2020

See Chapter 6 Para-108, Chapter 7 Para-131

1. District Name: KANNAUJ      2. Treasury Name: KANNAUJ      3. Paybill Duration: 01-11-2020 To 30-11-2020  
4. Record Code: 101      5. Treasury Code: 8400      6. Bill Register Serial No: 8440030023  
7. Voucher No:      8. Voucher Date:      9. Token No: 8420090353  
10. Non Plan-Voted      11. Head of Account (13 Digit Code): 2014001050900  
Major Head : (2014) - ADMINISTRATION OF JUSTICE  
Minor Head : (105) - CIVIL AND SESSION COURTS  
Sub Head : (09) - Detailed Head : (00)  
12. Self DDO Code : 1176 Name and Designation : SATENDRA KUMAR, PRICIPAL JUDGE OF FAMILY COURT.  
13. Establishment DDO Code : 4003 DDO's Designation : PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT KANNAUJ  
Office : FAMILY COURT KANNAUJ(07202) Department : Subordinate Court  
14. Grant No. : 042      15. Source Name :      16. Sector Name : District      17. Type Of Bill : P      18. Bill No : 1  
Consalidated      Funded

**PRESENT STATUS OF BUDGET**

	Total Allotment (a)	Total Expenditure(Including This Bill) (b)	Current Bill Expenditure (c)	Remaining Budget (a-b)	
(01) - Pay :	2000000	719127	70290	1280873	
(03) - DA :	300000	803635	115276	-503635	
(06) - Allow :	50000	33430	4400	16570	
(38) - IR :	300000	139057	21087	160943	
(50) - DA Pay :	0	0	0	0	
(55) - HRA :	100000	10420	0	89580	
(56) - CCA :	20000	200	0	19800	
(57) - NPA :	0	0	0	0	
(66) - Gross:			211053.00		
99	834200117010100 NEW PENSION SCHEME		35572.0		
5	801100107010100 INSURANCE OTHER THAN POLICE		120.0		
8	801100107020100 SAVING OTHER THAN POLICE		280.0		
25	865800112000000 INCOME TAX		35000.0		
(77) - Total Deductions :			70972		
(99) - Net Amount:			140081.00		
SBI AMOUNT :	140081.00	NON SBI AMOUNT :	0.00	DRAFT AMOUNT :	0.00
	Total No Employees	New Employees	Transferred Employees	Retired Employees	Gross
Current Month:->	1	0	0	0	211053
Previous Month:->	1	0	0	0	193883

Signature D.D.O.

Passed for Rs.140081 ( Rs. One Lakh Fourty Thousand Eighty One Only)  
Under Rs.140082 ( Rs. One Lakh Fourty Thousand Eighty Two Only)

Signature(BPA)

Signature(ATO)

Signature (TO S/O ATO)

रिजिस्टर न्यायालय  
कानपुर



वेतन/अवकाश वेतन पर्ची

शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश  
नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल), कचेहरी रोड, इलाहाबाद

संख्या 2283 /वे0प्र0प0/वित्त/न्यायिक/ई0आर0पी0-5-419

दिनांक: 13/11/2020

श्री स्वतेज कुमार

प्रधान - प्राध्यापक, पाठशाला - कोषागार

को सूचित किया जाता है कि वह आदेश संख्या 1932/Adm'n (Services) 2020

तारीख 14-10-2020 राजपत्र का पृष्ठ के अधीन दी गई तारीखों से निम्नलिखित मासिक दरों पर वेतन/अवकाश वेतन और भत्ते लेने का हकदार है। super time scale पूर्व आहरित धन के समायोजन एवं कटौतियों से प्रतिबंधित

1-01-2020

ब्योरे	किस तारीख से	किस तारीख से	किस तारीख से	किस तारीख से	5	6
	1	2	3	4		
मूल वेतन/बैण्ड वेतन	70290-					
वैयक्तिक वेतन						
महंगाई वेतन		अभिकार				
विशेष वेतन						
अंतरिम सहायकता -30%	21087					
अवकाश वेतन/बैण्ड वेतन						
महंगाई भत्ता	115276	दोस्त				
मकान किराया भत्ता						
अतिथि सत्कार भत्ता	3100-					
चिकित्सा भत्ता	1000-					
आवासीय कार्यालय भत्ता	300-					
प्रशिक्षण भत्ता		अभ				
नगर प्रतिकर भत्ता	-					
जोड़	211053-					

वेतनमान 70290-15410-76450 है प्रत्येक वर्ष की पुष्प अंशतः तारीख को वेतन-वृद्धि देय होती है और अन्यथा कोई आदेश न होने पर उपरि 76450 रु0 की स्थिति पर पहुँचने तक वेतन-वृद्धि ली जा सकती है।

अपर निदेशक/उप निदेशक

- टिप्पणी- (1) इस बात का विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त दरों के अनुसार बनाये गये प्रथम वेतन बिल के साथ यह पर्ची लगा दी जाय और प्रत्येक वेतन बिल के ऊपरी भाग पर हकदारी पंजी पृष्ठ संख्या लिखी जाये।
- (2) यदि अन्यथा न कहा गया हो तो अन्तिम वेतन-पत्र में उल्लिखित निधि अभिदानों की कटौतियां और सरकार को देय राशियों की वसूलियां कर लेनी चाहिये।

पृष्ठांकन सं0 : /वे0प्र0प0/वित्त/न्यायिक/ई0आर0पी0 5-419 तद् दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कोषागार अन-नौज

विशेष सचिव, ईरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विशेष सचिव (वित्त), विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रति प्रेषित।

जब कभी यह इस सरकारी अधिकारी के नाम कोई वेतन प्रमाण-पत्र जारी करें उसमें ऊपर दिया गया वेतन का ब्योरा देना न भूलें।

अपर निदेशक/उप निदेशक